न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0–17/18–19

रामप्रकाश दाँगी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/09/2021	आवेदक रामप्रकाश दाँगी, पिता–श्री हेमा महतो, सा0–ईटखोरी, पो0–ईटखोरी, थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा, अंचल–ईटखोरी के खाता संख्या–18 एवं 43 प्लॉट सख्या–2904, 2905, 2906, 2907 एवं 2908, रकवा–0.07, 0.01, 0.02, 0.01 एवं 0.01 एकड़ भूमि का आवेदक की ओर से दिनांक–13.06.2017 के अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा पारित आदेश (ऑनलाईन) के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से दायर अभ्यावेदन के आलोक में यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–'' अपीलार्थी रामप्रकाश दॉगी ग्राम–ईटखोरी, थाना नं0–45, खाता संख्या–18, प्लॉट संख्या–2904, रकवा–0.07 एकड़ भूमि ब्रह्मदेव दॉगी, पिता–स्व0 चमन दॉगी, ग्राम–ईटखोरी जो सर्वे रैयत के वारिस है, से निबंधित डीड सख्या–4390 दिनांक–20.07.2009 द्वारा क्रय किए है। उसके बाद आवेदक/अपीलार्थी क्रय किए गए जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, ईटखोरी के समक्ष समर्पित किया गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या–371/2009 स्वीकृत होकर अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा रामप्रकाश दॉगी के नाम से 0.07 एकड़ भूमि का रसीद निर्गत किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम–ईटखोरी, थाना नं0–45 के खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–2905, रकवा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–2908,	

रकवा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–2906, रकवा–0.02 एकड़, प्लॉट संख्या–2907, रकवा–0.01 एकड़ कुल रकवा–0.05 एकड़ भूमि खतियानी रैयत नाथो दॉगी पिता–स्व0 दयाली महतो, लुकन दॉगी, पिता–स्व0 चुरामन महतो एवं कामदेव महतो, पिता–स्व0 हिरो महतो सभी ग्राम–ईटखोरी के वंशज से निबंधित डीड संख्या–5964 दिनांक–03.11.2009 के माध्यम से भूमि क्रय किए है। क्रय करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, ईटखोरी के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया जो दाखिल खारिज वाद सख्या–457/2009–10 दिनांक–14.03.2010 को स्वीकृत होकर लगान रसीद निर्गत हुआ। अपीलार्थी लगातार लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते रहे है। **यह है कि वर्ष 2016** में विपक्षी संतोष कुमार सिंह पिता–रामजन्म सिंह गलत तरीके से ग्राम–ईटखोरी के देवकी बरई एवं सुखदेव बरई पिता–पुनीत बरई से निबंधित डीड संख्या–4144 दिनांक–20.12.2016 के माध्यम से भूमि क्रय किए है। उल्लेखित देवकी बरई एवं सुखदेव बरई ना ही सर्वे रैयत के वंशज है और ना ही उक्त भूमि पर काबिज है। यह है कि संतोष कुमार खरीदगी जमीन पर बिना एक दिन के लिए भी काबिज होकर ऑनलाईन दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए। यह है कि सब–जज–चतरा के न्यायालय में सिविल वाद T.S 7/2016 लंबित है एवं वाद लंबित रहने के दौरान देवकी बरई एवं सुखदेव बरई के द्वारा विपक्षी संतोष कुमार सिंह को प्रश्नगत भूमि बेच दिया गया है। अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा बिना नोटिस निर्गत किए, बिना जॉच किए एवं पक्ष रखने का मौका भी नहीं देते हुए आपति का निपटरा कर दिया गया। अचंल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा पारित आदेश नियमसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, ईटखोरी के दिनांक–13.06.2017 को पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि प्रथम पक्ष के आवेदन के कंडिका '1' में उल्लेखित किया गया है कि प्रथम पक्ष ने ब्रहम्देव दॉगी, पिता–स्व0 चमन दॉगी से निबंधित डीड संख्या–4390 दिनांक–20.07.2009 के माध्यम से उक्त भूमि को खरीदा है, जो कि उक्त भूमि के सर्वे रैयत के अनुसार मलिकाना हक रखते थे तथा उसका दाखिल खारिज केश सख्या–371/2009 के माध्यम से हुआ है। जबकि यह उल्लेखनीय है कि ब्रहम्देव दॉगी पिता–स्व0 चमन दॉगी उक्त भूमि का मलिकाना हक नहीं रखते है। यह कि उक्त भूमि का मलिकाना हक स्व0 खेदु कोईरी के पास था, स्व0 खेदु कोईरी, स्व0 शिबु

कोईरी के नाना थें स्व0 शिबु कोईरी के बेटा का नाम है स्व0 चमन कोईरी जो कि उक्त भूमि के विक्रेता ब्रहम्देव दॉगी है और उक्त भूमि के तथाकथित मलिकाना हक का दावा करके उक्त भूमि को राम प्रकाश दॉगी से बेचा है। यह कि उल्लेखिनीय है कि उक्त भूमि के विक्रेता ब्रहम्देव दॉगी के दादा स्व0 शिबु कोईरी ने इशतीफा नामा बुक डीड संख्या–103, दिनांक–03.04.1939 के माध्यम से उक्त भूमि का इशतीफा नामा बाबु बटो कीस्टोराए वल्द बाबु प्रसन राए को 03.04.1939 को दे दिया, जिससे यह स्पष्ट है कि विक्रेता ब्रहम्देव दॉगी ने उक्त भूमि को तथाकथित गलत और मनगढ़त मलिकाना हक का दावा करके/दिखा कर उक्त भूमि को राम प्रकाश दॉगी से बेचा है। यह कि प्रथम पक्ष के आवेदन के कंडिका '2' में उल्लेखित किया गया है कि प्रथम पक्ष ने नाथो दॉगी पिता–स्व0 देयाली दॉगी, लुकन दॉगी, पिता–स्व0 चुरामन महतो व कामदेव महतो, पिता–हीरो महतो से निबंधित डीड संख्या–5964 दिनांक–03.11.2009 के माध्यम से उक्त भूमि को खरीदा है, जो कि उक्त भूमि के सर्वे रैयत के अनुसार मलिकाना हक रखते थे तथा उसका दाखिल खारिज केश संख्या–457/2009–10 दिनांक–14.03.2010 के माध्यम से हुआ है। जबकि यह उल्लेखिनीय है कि नाथो दॉगी पिता–स्व0 देयाली दॉगी, लुकन दॉगी पिता–स्व0 चुरामन महतो व कामदेव दॉगी, पिता–श्री हीरो महतो व रवीन्द्र दॉगी पिता–श्री राम सेवक महतो उक्त भूमि के मलिकाना हक नहीं रखते है। यह कि उक्त भूमि का मलिकाना हक स्व0 मंगल कोईरी के पास था, स्व0 मंगल कोईरी स्व0 देयाली कोईरी के पिता थे स्व0 देयाली कोईरी के चार बेटा हुए जिसका नाम नाथो दॉगी, स्व0 चुरामन महतो, हीरो महतो और राम सेवक महतो है। जोकि उक्त भूमि के विक्रेता नाथो दॉगी पिता–स्व0 देयाली कोईरी/महतो, लुकन महतो पिता–स्व0 चुरामन महतो, कामदेव दॉगी पिता–श्री हीरो महतो व रवीन्द्र दॉगी पिता–श्री राम सेवक महतो हैं और वे सभी उक्त भूमि के तथाकथित मलिकाना हक का दावा करके उक्त भूमि को राम प्रकाश दॉगी से बेचा है। यह कि उल्लेखिनीय है कि उक्त भूमि के विक्रेता नाथो दॉगी के पिता व लुकन महतो, पिता–स्व0 चुरामन महतो, कामदेव दॉगी पिता श्री हीरो महतो व रवीन्द्र दॉगी पिता श्री रामसेवक महतो के दादा स्व0 देयाली कोईरी/महतो ने इशतीफा नामा डीड संख्या–33 दिनांक–03.02.1939 के माध्यम से उक्त भूमि का इशतीफा नामा बाबु बटो क्रीस्टोराए वल्द बाबु प्रसन राए को 03.02.1939 को दे दिया, जिससे यह स्पष्ट है कि विक्रेता नाथो दॉगी के पिता व लुकन महतो पिता–स्व0 चुरामन महतो, कमदेव महतो श्री हीरो महतो व रवीन्द्र दॉगी

पिता–श्री रामसेवक महतो ने उक्त भूमि तथाकथित गलत और मनगढ़त मलिकाना हक का दावा करके/दिखा कर उक्त भूमि को राम प्रकाश दॉगी से बेचा है। यह कि तत्पश्चात् बाबु बटो क्रीस्टोराए वल्द बाबु प्रसन राए ने उक्त भूमि को रैयती कायमी बन्दोबस्ती हुकुमनामा के माध्यम से पुनित बरई के नाम से कर दिया गया तब से सरकारी मालगुजारी पुनित बरई के नाम जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से साल व साल पेज नं0 136/13 में दर्ज होकर कटता चला आ रहा है व उक्त भूमि के विक्रेतागण देवकी बरई उर्फ देवकी नंदन प्रसाद व सुखदेव बरई दोनों के पिता–स्व0 पुनित बरई उक्त जायदाद पर कायत कावीज दखलकार चले आ रहे थे वो आपस भाईयों में खानगी बंटवारा करके अपना–अपना हक हिस्सा मधे विक्रेता स0एक मवाजी 08 डी0 वो विक्रेता स0 दो मवाजी 04 डी0 जमीन क्रेता संतोष कुमार सिंह से बिक्री किया है। यह कि वर्तमान में अंचलाधिकारी ने जिस पर पुनित बरई के पुत्र देवकी बरई उर्फ देवकी नंदन प्रसाद व सुखदेव बरई दोनों के पिता–स्व0 पुनित बरई के नाम से भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किया है। यह कि प्रथम पक्ष ने अंचल अधिकारी, ईटखोरी से साक्ष्य को छुपाकर धोखे में रखकर/गुमराह कर गलत ढंग से दाखिल खारिज करवा लिया था। यह कि प्रथम पक्ष ने कंडिका '5' में उल्लेख किया है कि T.S. Suit No.7/2016 sub judge चतरा के न्यायालय में लंबित है परंतु पक्ष ने जानबुझकर तथ्य को छुपाने की मंशा से यह उल्लेख नहीं किया कि इस वाद में इंजंक्सन का आदेश (भूमि के खरीद फरोक्त पर रोक नहीं लगया गया है।) पारित नहीं है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में स्पष्ट न्यादेश पारित किया है कि दाखिल मलिकाना हक नहीं प्रदान करता है मलिकाना हक व्यवहार न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। यह कि प्रथम पक्ष दबंग प्रवृति के लोग है और लाठी–डंडा के बल पर विपक्षी/द्वितीय पक्ष के भूमि पर अवैध रूप से काबीज होने के लिए तरह–तरह का हथकंडा अपनाते रहते है। यह कि विपक्षी/द्वितीय पक्ष कानून को मानने वाले लोग हैं जबकि प्रथम पक्ष द्वारा वर्तमान में भी लगातार द्वितीय पक्ष को धमकी दी जा रही है कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले नहीं तो सपरिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा जानबुझकर न्यायालय को गुमराह करने की मंशा से इस वाद को लाया गया है। यह कि प्रथम पक्ष द्वारा इस वाद को आवेदन कंडिका '1' से 10 तक उल्लेखित सभी बातें मनगढ़त, बनावटी, व न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय के बहुमुल्य समय को बर्बाद करनेवाला है। विपक्षी द्वारा न्यायालय के अंतिम निर्णय की तिथि तक

इस अपील वाद में अग्रेतर कार्रवाई स्थागित रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अचंल अधिकारी, ईटखोरी के पत्रांक–419, दिनांक–11.09.2021 द्वारा खाता संख्या–18 एवं खाता संख्या–43 के प्लॉट संख्या–2904, 2905, 2906, 2907 एवं 2908 क्रमशः रकवा–0.07, 0.01, 0.02, 0.01 एवं 0.01 एकड़ से संबंधित उपलब्ध कराये गये निम्न न्यायालय अभिलेख में **अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा दिनांक–13.06.2017 को ऑनलाईन पारित आदेश में अंकित किया गया है कि**–"आवेदित जमीन मौजा–ईटखोरी, थाना–ईटखोरी

खाता	प्लॉट	रकवा
18	2904	0 हेक्टर, 7 डीसमील, 0 एकड
43	2905	0 हेक्टर, 1 डीसमील, 0 एकड
43	2906	0 हेक्टर, 2 डीसमील, 0 एकड
43	2907	0 हेक्टर, 1 डीसमील, 0 एकड
43	2908	0 हेक्टर, 1 डीसमील, 0 एकड
का बिक्रेता		
विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
देवकी बरई	पिता	पुनित बरई
है जिन्होंने निवंधित बिक्री, बिक्री केवाला संख्या 4144 दिनांक–..............द्वारा आवेदक को बिक्री किए है। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंद रैयत		
रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
राम प्रकाश दाँगी	पिता	हेमा दाँगी
राम प्रकाश दाँगी	पिता	हेमा दाँगी

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं0नि0 ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में नामांतरण स्वीकृत किया जाता है।"

उपरोक्त संबंधित पक्षों का लिखित अभिकथन एवं अंचल अधिकारी, ईटखोरी से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख में अंकित तथ्यों से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है, जो विचारणीय है:–

1. वर्ष 2009 में दाखिल खारिज
2. वर्ष 2017 में दाखिल खारिज

1. <u>वर्ष 2009 में दाखिल खारिज</u> :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि– ''अपीलार्थी रामप्रकाश दाँगी ग्राम–ईटखोरी, थाना नं0–45, खाता संख्या–18, प्लॉट संख्या–2904, रकवा–0.07 एकड़ भूमि ब्रहम्देव दाँगी, पिता–स्व0 चमन दाँगी, ग्राम–ईटखोरी जो सर्वे रैयत के वारिस है, से निबंधित डीड सख्या–4390 दिनांक–20.07.2009 द्वारा क्रय किए है। उसके बाद आवेदक/अपीलार्थी क्रय किए गए जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, ईटखोरी के समक्ष समर्पित किया गया है। **दाखिल खारिज वाद संख्या–371/2009 स्वीकृत होकर अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा रामप्रकाश दाँगी के नाम से 0.07 एकड़ भूमि का रसीद निर्गत किया गया।** अपीलार्थी द्वारा ग्राम–ईटखोरी, थाना नं0–45 के खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–2905, रकवा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–2908, रकवा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–2906, रकवा–0.02 एकड़, प्लॉट संख्या–2907, रकवा–0.01 एकड़ कुल रकवा–0.05 एकड़ भूमि खतियानी रैयत नाथो दाँगी पिता–स्व0 दयाली महतो, लुकन दाँगी, पिता–स्व0 चुरामन महतो एवं कामदेव महतो, पिता–स्व0 हिरो महतो सभी ग्राम–ईटखोरी के वंशज से निबंधित डीड संख्या–5964 दिनांक–03.11.2009 के माध्यम से भूमि क्रय किए है। क्रय करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, ईटखोरी के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया जो **दाखिल खारिज वाद सख्या–457/2009–10 दिनांक–14.03.2010 को स्वीकृत होकर लगान रसीद निर्गत हुआ।**

<u>वर्ष 2017 में दाखिल खारिज</u> :– **अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा दिनांक–13.06.2017 को ऑनलाईन पारित आदेश में अंकित किया गया है कि**–''आवेदित जमीन मौजा–ईटखोरी, थाना–ईटखोरी के खाता संख्या–18, प्लॉट संख्या–2904, रकवा–7 डी0, खाता संख्या–43, प्लॉट संख्या–2905, रकवा–01 डी0, प्लॉट संख्या–2906, रकवा–02 डी0, प्लॉट संख्या–2907, रकवा–01 डी0, प्लॉट संख्या–2908, रकवा–01 डी0 भूमि का विक्रेता देवकी बरई, पिता–पुनित बरई है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री केवाला संख्या 4144 दिनांक–...............द्वारा आवेदक को बिक्री किए है। उक्त जमीन का खतियानी/जमाबंदी रैयत राम प्रकाश दाँगी, पिता– हेमा दाँगी वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी/अं0नि0 ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में **नामांतरण स्वीकृत किया जाता है।''**

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एक ही भूमि के लिए दो बार दाखिल खारिज किया गया है। स्पष्ट नहीं है कि कौन सही है या गलत। अंचल अधिकारी, ईटखोरी को आदेश दिया जाता है कि संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देश, संकल्प आदि का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए गलत दाखिल खारिज को चिन्हित करते हुए विधिसम्मत्/नियमसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, इर्टखोरी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह० 22/09/2021
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

ह० 22/09/2021
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.02.15 05:06:08 -08:00
Location: 2401:4900:3840:6347:4813:47ca:9b65:19dc